

में दिनांक... 15/11/21... को पेश होने वाले तलाब होकर  
पेश हुई। पक्षकारान् को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत  
ग्राम पंचायत... में उपस्थित होने का मत नोटिस  
जारी हो। पत्रावली दिनांक... 15/11/21... को कैम्प कोर्ट/  
राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत... में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रेणी जिला अलवर

14<sup>12</sup>/<sub>21</sub>

आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत  
में पेश हुई। पक्षकारान् में आवसी... सहमति  
नही होने से प्रकरण का निरंतरण...  
अतः पत्रावली... 10-02-22  
को पेश हो।

शासन गांव के संयं अभियान 2021

उपखण्ड अधिकारी  
रेणी जिला अलवर

10<sup>2</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली मूलवाद के साथ डिनेक्ट  
11/4/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रेणी जिला अलवर

11<sup>4</sup>/<sub>22</sub>

Not Press  
Subk...  
11/4/2022


आज यह पत्रावली पेश हुई/वकील  
वादी उपस्थित / मूलवाद नोटिस  
में खारिज हो चुका है। मूलवाद  
का निरंतरण हो जाने से प्रकरण  
पत्र 212 RT Act का कोर्ट को पेश

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुकम

नहीं रहता है।

अतः प्रारम्भ पत्र 2/2/25 अथ  
की कार्यवाही ड्राफ्ट की जाती है। पत्रावली  
फैसल अम्बार होकर शिफ्टर से  
कर्म की जावे। मिलान मुस्तवाह है।

  
SPO